राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax:-0141- 2222403/2223239 **web:**- www.lsgraj.org E-mail ID:- **dlbrajasthan@gmail.com**

क्रमांक:एफ(55) / सीई / डीएलबी / ~~एमजेएसए-II~~ / 19 / 79341-348 नला पूर्ति दिनांक: 15/03/19

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
श्रीगंगानगर, करौली, जैसलमेर, बूंदी, नागौर,
नाथद्वारा, नोखा, चौमूं।

विषयः—नगरीय निकायों द्वारा संचालित / संधारित जलप्रदाय योजनाओं हेतु वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में हस्तांतरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों का विवरण देने बाबत।

संदर्भ:—वित्त विभाग से प्राप्त पत्रावली की प्रतिलिपी (संलग्न)।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग द्वारा प्राप्त पत्रावली के बिंदु सं. 1 के द्वारा विभाग वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के आयोजना मद में हस्तांतरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों का विवरण चाहा गया है। इसके अतिरिक्त आयोजना भिन्न मद में भी आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का घटकवार विवरण चाहा गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विस्तृत विवरण (Componentwise) 2 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि वित्त विभाग के आक्षेपों की पूर्ति की जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझे।

संलग्नः 2 प्रपत्र।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ(55) / सीई / डीएलबी / एमजेएसए–II / 19 / 79349-358 दिनांक 15/03/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
3. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।
4. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

207 वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नवत है :–

प्रशासनिक विभाग निम्नानुसार सूचना के साथ प्रस्तावित करें एवं पूर्व मे दिये गये सुझावों पर टिप्पणी से अवगत करावें

(1) विभाग वर्ष 2016–17 एव 2017–18 मे हस्तान्तरित राशि से कराये गये पूंजीगत कार्यों का विवरण प्राप्त कर वित्त विभाग को अवगत करावे। आगामी राशि उसके बाद ही रिलीज की जावेगी।

(2) स्थानीय निकायो को मंत्रीमण्डल ज्ञापन दिनांक 24.07.2012 के बिन्दु संख्या 9(अ) एव 16(V) (7 एवं 9/सी) के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक सहायता राशि प्रदान करने की प्रकिया के अनुसार लगातार 5 वर्ष तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः इस परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण उक्त बिन्दुओं के आधार पर किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

(3) इन योजनाओ मे प्राप्त राजस्व आय की विगत तथा केबिनेट के निर्णय के अनुसार विनियोजन कार्यक्रम लागू करने एव पेयजल शुल्क दरों में बढोत्तरी करते हुए पुनर्भरण राशि को क्रमिक रूप से कम करने के बिन्दु का परीक्षण कर समस्त सूचनाओं के साथ प्रस्ताव भिजवाये जावें।

(4) वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक निकायों को हस्तान्तरित राशि एव वास्तविक व्यय राशि की विगत से अवगत करावें।

(5) प्रशासनिक विभाग की पत्रावली के अनु. 204/एन में अंकित राशि का प्रयोजन/कार्य का विवरण भिजवाने का सुझाव दिया जाता है।

(6) मंत्रीमण्डल ज्ञापन दिनांक 24.07.2012 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार स्थानीय निकाय को योजना में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, वितरण में सुदृढिकरण, नये जलाशयों/पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण आदि पूंजीगत निवेश के कार्य अपने स्तर पर राज्य सभा/लोक सभा सासंद एवं विधायक क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य संसाधन/ऋण से भी प्रारम्भ कराने का सुझाव दिया जाता है।

208 यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
08 मार्च, 2019
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (व्यय 3) विभाग

शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

SIDDHARTH MAHAJAN
Secretary LSG

2013-14

Format for Details of Capital works **Financial Year** 2013-12

Name of ULB

Sr. No.	Component	Expenditure (Rs)
1	Pipeline	
2	Pump Machinary	
3	Tubewell	
4	Storage reservoirs (GLR/OHSR)	
5	Other	
	Total(Rs)	

प्रपत्र – 2

नगरीय निकाय का नाम :–

शहरी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई हेतु आयोजना भिन्न मद में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण :–

क्र. स.	बजट मद	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
		आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि	आंवटित राशि	व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2217-80-192-(36)-[01]-12 विद्युत प्रभार हेतु व्यय										
2.	2217-80-192-(36)-[02]-12 वितरण प्रणाली में सुधार हेतु व्यय										
3.	2217-80-192-(36)-[03]-12 अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय										
4.	2217-80-192-(36)-[04]-12 रासायनिक प्रभार हेतु व्यय										
5.	2217-80-192-(36)-[05]-12 बल्क वॉटर सप्लाई के लिए PHED को भुगतान पर व्यय										
	योग										